तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31–7–2019	**एकलपीठ** **श्री पंकज नरूका, सदस्य** **उपस्थितः** श्री समीर अहमद अधिवक्ता प्रार्थी। श्री रामसुख चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी। **–: निर्णय :–** 1– यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 58 / 2005 में पारित निर्णय दिनांक 9–12–2005 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या–1 कालूराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमि, 1955 तहसीलदार (भू.रू.) के समक्ष इस आशय का पेश किया कि हाल प्रार्थीगण बच्चूलाल गंगलराम पिसरान कोरया ने आराजी खसरा नंबर 1332, हाल अप्रार्थी संख्या–1 की खातेदारी की आराजी में जाने का रास्ता खसरा नंबर 1333 व 1363 में होकर आवागमन के मार्ग को जो कस्बा सिकराय से चाटकी बालाजी तक जाने वाले रास्ते को पत्थर डालकर अवरूद्ध कर दिया है, जिसे खुलवाया जावे। जिस पर तहसीलदार, सिकराय द्वारा दिनांक 03–9–2003 को आदेश पारित कर बन्द रास्ते को खुलवाने के निर्देश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध निगराकार ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 9–12–2005 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। 3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। 4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए बहस की गई है कि सुखाचार के लिए यह प्रथमदृष्टया आवश्यक है कि पूर्व से गत 20 वर्ष से जो रास्ता क्लेम किया जा रहा है, उसमें पक्षकार द्वारा रास्ते का उपयोग किया जाता रहा हो, इस आशय का कोई आवेदन तहसीलदार के समक्ष पेश नहीं हुआ था, न ही इस प्रकार की कोई साक्ष्य पेश हुई। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय विद्वान अतिरक्त जिला कलक्टर के समक्ष रखे गये थे लेकिन इस बेसिक एवं मुख्य बात की ओर उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जबकि उनके द्वारा अपने पूर्व आदेश में स्वयं यह निर्देश प्रदान किये गये थे कि रास्ते के संबंध में जांच की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की अपील को खारिज किया है। यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण को रिमाण्ड किया था जबकि उन्हें स्वयं के स्तर से ही सुनवाई कर कार्यवाही करनी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने निगराकार के समक्ष कोई मौका नहीं देखा न ही उन्होंने इस बाबत् कोई नेाटिस दिया। उन्होंने निगराकार के पीठ पीछे कानून के खिलाफ मौका रिपोर्ट तैयार की जो कि प्रभावहीन है। तहसीलदार ने जो नजरी नक्शा बनाया है वह भी निराधार एवं मात्र अवधारणाओं के आधार पर बनाया है। तहसीलदार ने जो दो गट्ठा चौड़ा रास्ते रखने का आदेश दिया है वह किस आधार पर दिया है इस संबंध कोई साक्ष्य पेश नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगराकार द्वारा निवेदन किया गया था कि अप्रार्थी संख्या–1 को खसरा नंबर 1332 में तीन तरफ से पंहुच सकता है जिनमें प्रथम ग्राम सिकराय से मानपुर के लिए जो सड़क जाती है उस सड़क से पश्चिमी दिशा की ओर दूसरा खसरा नंबर 1332 की पूर्व की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 के स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है इसके अलावा उसके भाईयों की खातेदारी की भूमि है इन सभी रास्तों से होकर वह अपनी भूमि में जा सकता है, जबकि निगराकार की भूमि में होकर कोई रास्ता व आवागमन नहीं है। यह भी कथन किया कि निगराकार ने चूंकि अपनी भूमि में फैंसिग करवा रखी है इसकी जलन एवं निगराकार की फेंसिग को नुकसान पंहुचाने की गरज से उसने यह कार्यवाही की है। अन्त में उनका तर्क है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31–5–2005 से जो दिशा निर्देश दिये थे उनकी कोई पालना नहीं की गई। तहसीलदार ने जो आदेश दिनांक 06–6–05 को पारित किया है, वह कानून के खिलाफ, मनमाना एवं प्रारम्भ से ही शून्य है किन्त इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–12–2005 तथा तहसीलदार, सिकराय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–6–2005 निरस्त फरमाये जावे। 5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से अपनी बहस में बताया गया है कि तहसीलदार, सिकराय द्वारा स्वयं जांच कर यह पाया है कि रास्ते की भूमि पर पत्थर डालकर व तारबन्दी करके रास्ता रोका गया है। उक्त रास्ते को तहसीलदार द्वारा दिनांक 03–9–2002 को अपने आदेश से खोला गया जिसमें खातेदारान को कोई ऐतराज नहीं था। जिसके खिलाफ उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जो भी दिनांक 31–5–2004 को स्वीकार कर इस दिशा निर्देश के साथ रिमाण्ड की कि पक्षकारान को सुनवाई का मौका देकर पुनः जांच की जावे। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 06–6–2005 में यह स्पष्टतः अंकित किया है कि खसरा नंबर 1332 के खातेदार को इस रास्ते के अलावा कोई और वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई जिन्होंने अपील इस आधार पर खारिज की कि तहसीलदार ने राजस्व रिकार्ड एवं मौके की जांच कर विधिवत निर्णय पारित किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिनमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे। 6— हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया। 7— पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति तो स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नहीं है। किन्तु खसरा नंबर 1332 में जाने हेतु पूर्व से काम में लिये जाने वाले रास्ते को अवरोध करने पर उक्त रास्ते को खुलासा करने बाबत् जब तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो हालांकि पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर तारबन्दी कर मौके पर अवरोध पाया गया और मुताबिक रिपोर्ट यह भी पाया गया कि खसरा नंबर 1332 में जाने हेतु उक्त रास्ता काम आता रहा है। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि पूर्व में तहसीलदार के आदेश से पत्थर हटाकर रास्ते को चालू करवाया गया है। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील को रिमाण्ड किये जाने पर ग्राम पंचायत से रिपोर्ट तलब किये जाने पर भी यह स्थिति प्रकट हुई है कि खसरा नंबर 1332 में 1363 व 1333 की मेड़ों पर होकर रास्ता रहा है। हालांकि प्रार्थी की ओर से तहसीलदार के समक्ष विभिन्न शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने खसरा नम्बरों की भूमियों में होकर कोई रास्ता नहीं होना बताया है, किन्तु इसके अतिरिक्त कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य उनकी ओर से दौराने जाँच प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि इसके विपरीत गैर निगरानीकर्ता कालूराम की ओर से जाँच के दौरान तहसीलदार के समक्ष स्वयं को परीक्षित करवाया गया है तथा गवाह रामावतार भी परीक्षित हुआ है और जिनके कथनों से भी कालूराम के द्वारा उक्त रास्ते का प्रयोग किये जाने के तथ्य सशपथ कथनों द्वारा प्रकट हुए हैं। पटवारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर जांच रिपोर्ट की गई है, उससे भी प्रकट होता है कि मौके पर रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है और इसके विरोध में कोई जवाब या साक्ष्य निगरानीकर्ता की ओर से तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में पत्रावली पर मौजूद जाँच रिपोर्ट व साक्ष्य के आधार पर तहसीलदार, सिकराय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह तथ्यों व विधि के अनुरूप है और जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आलोच्य आदेश दिनांक 9—12—2005 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा खारिज किये जाने में इस न्यायालय के विनम्र मत में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः सारहीन होने से निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8— परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09—12—2005 की पुष्टि की जाती है। 9— इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे। 10— पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरूका)** **सदस्य**	